संख्या- 2023/ 001-3180422023

प्रेषक,

राजेश कुमार-।।,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

खेल अनुभाग लखनऊ : दिनांक-03-01-2024

विषयः- जनपद प्रतापगढ के स्पोर्ट्स स्टेडियम में क्षतिग्रस्त बाउण्ड्रीवाल व बैडमिन्टन कोर्ट के रेनोवेशन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-जी-791/नि0 प्रतापगढ़ स्टे0 पत्रा0/2023-24, दिनांक 04.10.2023 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद प्रतापगढ के स्पोर्ट्स स्टेडियम में क्षतिग्रस्त बाउण्ड्रीवाल व बैडमिन्टन कोर्ट के रेनोवेशन के निर्माण हेतु नामित कार्यदायी संस्था- यू0पी0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 द्वारा गठित आगणन के मूल्यांकन (अप्रेजल) एवं औचित्य का परीक्षण जिलाधिकारी प्रतापगढ़ द्वारा गठित समिति से कराते हुए उपलब्ध कराये गये आंकलित लागत रू0 211.04 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा उक्त के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष- 2023-24 के बजट में अनुदान संख्या-22 के लेखाशीर्षक 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-03-खेलकूद तथा युवा सेवा-800-अन्य व्यय-06-प्रदेश में खेल अवस्थापनाओं का विकास एवं उन्नयन/नव निर्माण-24 वृहत् निर्माण कार्य '' मद में व्यवस्थित धनराशि रू0 11671.98 में से परियोजना की सम्पूर्ण धनराशि रू0 2,11,04,000/-(रुपये दो करोड़ ग्यारह लाख चार हजार मात्र)की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 2,11,04,000/-(रुपये दो करोड़ ग्यारह लाख चार हजार मात्र) निदेशक खेल द्वारा कोषागार से आहरित कर वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 17.03.2023 एवं कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 19.09.2023 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार कार्यदायी संस्था यू0पी0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 को उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त धनराशि की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2023-24 में उपलब्ध बजट के अन्तर्गत दी जा रही है।

(2) प्रायोजना प्रस्ताव का आगणन लोक निर्माण विभाग, प्रतापगढ़ की प्रभावी दर अनुसूची दिनांक 20.09.2022 एवं डी0एस0आर0 2021 के आधार पर तैयार किया गया है। जिन कार्यों की दरें अनुसूची में नहीं है, उसे मार्केट रेट के आधार पर कोटेशन प्राप्त करते हुए समावेशित किया गया है।

(3) कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(4) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि अनुमन्य कर दी गयी है। निदेशक, खेल/कार्यदायी संस्था द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(5) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/निदेशक, खेल का होगा।

(6) प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जायेगा।

(7) प्राविधानों को यथावत मानते हुये प्रायोजना का परीक्षण किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य को सम्मिलित करना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।

(8) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(9) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी निदेशक, खेल/कार्यदायी संस्थात की होगी तथा निदेशक, खेल यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय-सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जायें तथा भविष्य में प्रयोजना का कोई पुनरीक्षण स्वीकार नहीं होगा।

(10) निदेशक, खेल/कार्यदायी संस्थां द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(11) निदेशक, खेल/कार्यदायी संस्था द्वारा समय-समय पर कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करते हुए गुणवत्तापरक कार्य पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(13) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(14) निदेशक, खेल यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य पूर्व में किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(15) उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो, इसे निदेशक, खेल अपने स्तर से सुनिश्चित करेंगे।

(16) कार्यदायी संस्था नियमानुसार लेबर सेस के भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

(17) वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17.03.2023 तथा कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 10/2023/बी-1-602/दस-2023-231/2023 दिनांक 19.09.2023 में निहित व्यवस्थानुसार कार्यदायी संस्था को आवश्यकतानुसार धनराशि निर्गत/व्यय की जायेगी।

(18) निदेशक, खेल/कार्यदायी संस्था द्वारा प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण करा लिया जायेगा।

(19) निदेशक, खेल द्वारा अवमुक्त की गयी सम्पूर्ण धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र वर्तमान वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(20) जी0एस0टी0 आदि की गणना की शुद्धता का उत्तरदायित्व निदेशक, खेल/कार्यदायी संस्थाब का होगा।

(21) स्वीकृत की जा रही धनराशि यदि किसी ऐसे खाते में रखी जाती है जिसमें ब्याज अर्जित हो तो उक्त ब्याज की धनराशि राजकोष में जमा करायी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(22) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में प्रशासकीय व्यय में मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,11,04,000 (रुपये दो करोड़ ग्यारह लाख चार हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 022 **लेखा शीर्षक** 4202038000600 प्रदेश में खेल अवस्थापनाओं का विकास एवं उन्नयन / नव निर्माण **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
राजेश कुमार-।।
विशेष सचिव।

संख्या-2023/ 001-3180422023, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार उ0प्र0 (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0 प्र0 प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- जिलाधिकारी, प्रतापगढ़।
5- क्रीड़ा अधिकारी, जिला खेल कार्यालय, प्रतापगढ़।
6- प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग- 5
9- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर प्रति।

आज्ञा से,
हृदय नारायण सिंह यादव
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।